कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, सा0नि0वि0,
सामान्य प्रकीर्ण वर्ग

लखनऊ : दि0 17-11

परिपत्र सं0:- 44पी.डब्लू./5822एमटी/52एम-44/89
फाइल सं0 265सेतु-31/89

परिपत्र

इस कार्यालय से सेतु की स्थल-चयन समिति के संबंध में परिपत्र संख्या 425/5सेतु/89, दिनांक 28.3.89 निर्गत किया गया है, यह केवल मैदानी क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के मैदानी भाग के लिए है। पर्वतीय क्षेत्रों के पहाड़ी भाग के सेतुओं के स्थल चयन समिति के संबंध में जो परिपत्र पूर्व में विभिन्न मुख्य अभियन्ताओं द्वारा जारी किये गये हैं उनको निरस्त किया जाता है। अतिक्रम में पर्वतीय क्षेत्रों के पहाड़ी भाग के सेतुओं के स्थल-चयन हेतु चयन समितियाँ निम्न प्रकार से गठित की जाती हैं :-

(क) पैदल पुल हेतु:

इन सेतुओं के लिए स्थल-चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
2. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता।

यदि समिति आवश्यक समझती है कि भूगर्भवेत्ता की राय आवश्यक है तो सा0नि0वि0 के सहायक भूगर्भवेत्ता को आमन्त्रित किया जा सकता है।

(ख) मोटर पुल हेतु:

(अ) 30 मीटर जलपथ तक के सेतुओं के लिये स्थल चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
2. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता।

यदि समिति आवश्यक समझती है कि भूगर्भवेत्ता की राय आवश्यक है तो सा0नि0वि0 के सहायक भूगर्भवेत्ता को आमन्त्रित किया जा सकता है।

(ब) 30मीटर से अधिक जलपथ के सेतुओं के लिये स्थल-चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता।
2. समीप के वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता।
3. सा0नि0वि0 के भूगर्भवेत्ता/सहायक भूगर्भवेत्ता।

स्थल-चयन समितियाँ **स्थल चयन** करते समय नदी के किनारों पर चट्टानों की सुदृढ़ता, जल-प्रवाह के आधार पर सेतु की **लम्बाई** नदी के आने वाले मलबे के आधार पर फ्री बोर्ड तथा सेतु की विविध आवश्यकताओं (जैसे- पैदलपथ आदि) पर निर्णय लेगी।

Scanned by CamScanner